Extra

सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

वाद संख्या 6309 / 1022 / 2016 दिनांक 17.02.2017

श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, D788
731–सी, आनन्द विहार कॉलोनी,
राप्ती नगर, फेज प्रथम, पोस्ट–आरोग्य मन्दिर,
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273003
ईमेल – satishsrivastava14@gmail.com
chandankumargupta7@gmail.com ... वादी

बनाम

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
द्वारा – अध्यक्ष, D789
केन्द्रीय कार्यालय, चन्द्रमुखी,
नारीमन प्वाइन्ट, मुम्बई–400021 .... प्रतिवादी

सुनवाई की तिथि – 27.12.2016 पूर्वाह्न 1130 बजे

उपस्थित –

1. श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, शिकायतकर्ता
2. श्री राहुल राव, सहायक प्रबन्धक (विधि), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आई.टी.ओ., नई दिल्ली और श्री आलोक श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, गोरखपुर प्रतिवादी पक्ष से

आदेश

श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, 50 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा, के अन्तर्गत पदोन्नति के पश्चात तैनाती में प्रतिवादी बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेदभाव करने से सम्बन्धित एक शिकायत–पत्र दिनांक 04.05.2016 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. शिकायतकर्ता का कहना था उन्हें सहायक प्रबन्धक से प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति किया गया परन्तु उनकी पोस्टिंग दिनांक 28.04.2016 को गोरखपुर स्थित उनके घर से 60 किलो मीटर दूर प्रतिवादी बैंक के जोगिया शाखा, महाराजगंज जिला में कर दी गई जबकि शिकायतकर्ता के घर से 10–15 किलोमीटर की दूरी पर प्रतिवादी बैंक का शाखा है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना था कि उनके ही साथी श्री शिव कुमार श्रीवास्तव की तैनाती उनके घर के नजदीक शाखा कृष्णा नगर, गोरखपुर में की गई।

3. अधिनियम, 1995 की धारा 59 के अनुसार मामले को प्रतिवादी के साथ पत्र दिनांक 17.06.2016 के द्वारा उठाया गया।

4. प्रतिवादी ने पत्र संख्या केका/एचआरडी/भएवंप/एससीटी/2016–17/648 दिनांक 08.08.2016 के द्वारा सूचित किया कि शिकायतकर्ता हाल के पदोन्नति उपरान्त कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड । से मध्यम प्रबन्धन ग्रेड ।। में पदोन्नत हुए। पदोन्नति उपरान्त शारीरिक दिव्यांगता होने के कारण गोरखपुर क्षेत्र में ही पदस्थापित किए गए। शिकायतकर्ता कर्णबधिरता के कारण अपनी कठिनाईयों को दूर करने के लिए ध्वनि श्रवण यंत्र पर निर्भर है। ग्रामीण सेवा का कार्यकाल पूरा नहीं करने के कारण वे ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिए चयनित किए गए। शिकायतकर्ता ने ग्रामीण कार्यकाल नहीं करने की रियायत नहीं माँगी फिर भी उनकी कठिनाईयों को देखते हुए शाखा प्रबन्धक के प्रभार से मुक्त रखा गया और उन्हें जोगिया शाखा में सहायक प्रबन्धक के रूप में पदस्थापित किया जो स्केल ।।। शाखा है और वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा संचालित है। शिकायतकर्ता श्रवण बधिर होने के कारण ध्वनि श्रवण यंत्र का उपयोग सूनने के काम में लाते हैं और अन्य किसी भी तरह की उन्हें कठिनाई नहीं है इसलिए वे सहायक शाखा प्रबन्धक के रूप में कार्य बिना कठिनाई के कर सकते थे।

5. शिकायतकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 19.08.2016 में यह उल्लिखित किया कि जब उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी तो उन्हें शाखा प्रबन्धक के पद से मुक्त क्यों रखा गया और जबकि इसके पहले, स्केल । में शाखा प्रबन्धक क्यों नहीं बनाया गया जबकि उनके जूनियर को शाखा प्रबन्धक बनाया गया। दूसरी तरफ, प्रतिवादी के अनुसार, यदि श्रवण यंत्र की सहायता से कार्य बिना कठिनाई के करते थे तो अन्य की तरह उन्हें शाखा प्रबन्धक क्यों नहीं बनाया गया। यदि प्रतिवादी की नज़र में शिकायतकर्ता को कठिनाई थी तो उन्हें घर से 60 किलोमीटर दूर दूसरे जिले में सहायक शाखा प्रबन्धक बना कर क्यों भेजा गया। शिकायतकर्ता ने मशीन लगाने पर भी नहीं सुनाई पड़ने की असमर्थता व्यक्त की तथा यह सूचित किया कि उनके घर से 15–20 किलोमीटर की दूरी पर ही प्रतिवादी बैंक की कई ग्रामीण एवं शहरी शाखाएँ हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी सूचित किया कि इस न्यायालय ने पूर्व में वाद संख्या 297/1022/12–13 में दिनांक 15.01.2013 के फैसले में घर के समीप पदस्थापित कराया गया था।

6. वित्त मंत्रालय ने पत्र संख्या 301/2/92–एससीटी(बी) दिनांक 07.05.1992 द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय संख्या 14017/41/90–स्था.(आरक्षण) दिनांक 10.05.1990 में अन्तर्विष्ट दिशा–निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने पुनः पत्र संख्या 12/ए/2003–एससीटी(बी) दिनांक 02.04.2003 द्वारा ज्ञापन संख्या एबी 14017/16/2002–स्था.(आरक्षण) दिनांक 13.03.2002 के निबंधनों के अनुसार विकलांग

कर्मचारियों की उनके मूल निवास के समीप तैनाती के लिए दिशा–निर्देशों का पालन करने के लिए सूचित किया है।

7. उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने पत्र संख्या 3/13/2014–कल्याण दिनांक 18.11.2014 द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2013–स्था. (आरक्षण) दिनांक 31.03.2014 के बावत विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो कि पहले से सरकार में नियोजित हैं, द्वारा दक्षतापूर्वक अपना कार्य करने के लिए अनेक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए दिशा–निर्देश पीएसबी/पीएसआईसी/एफआई.नाबार्ड/आईबीए, सीजीएम, आरबीआई एचओ, मुम्बई, पीएफआरडीडीए के सभी अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशकों को सूचना एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित की है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2013–स्था. (आरक्षण) दिनांक 31.03.2014 के अनुच्छेद ''एच'' के अनुसार –

> ''जहां तक संभव हो, विकलांग व्यक्तियों को आवर्ती स्थानांतरण नीति/स्थानांतरण में छूट दी जा सकती है और जिस कार्य में उनका वांछित प्रदर्शन प्राप्त हो, उन्हें उस कार्य में रहने की अनुमती दी जा सकती है। इसके अलावा प्रशासनिक बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए निःशक्त व्यक्तियों को स्थानांतरण/पदोन्नति के समय तैनाती के स्थान में प्राथमिकता देनी चाहिए । निःशक्त व्यक्तियों के मामले में तैनाती की जगह के चुनाव पर विचार करने की प्रथा जारी रखा जा सकता है । व्यवहार्य जहां उनकी सेवाओं का बेहतर उपयोग किया जा सके, उन्हें उक्त कार्य में बनाए रखा जा सकता है।''

8. उपरोक्त के आलोक में दिनांक 27.12.2016 को 11.30 बजे मामले को सुनवाई हेतु रखा गया।

9. सुनवाई के दिन शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत दुहराई और घर के समीप के बैंक शाखा में शाखा प्रबन्धक के पद पर तैनाती कराने का निवेदन किया।

10. प्रतिवादी पक्ष की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने दिनांक 08.08.2016 को प्रस्तुत उत्तर को दुहराते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को सहायक प्रबन्धक स्केल–। से शाखा प्रबन्धक स्केल–।। में पदोन्नति किया गया है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (ऑफिसर्स) सर्विस रेगुलेशन्स के अनुसार, दो वर्ष ग्रामीण शाखा में सेवा करना अनिवार्य है जिसके आधार पर शिकायतकर्ता को तैनात किया गया है। स्केल–।। की अन्य शाखा शिकायतकर्ता के लिए सुविधाजनक नहीं है। यदि शिकायतकर्ता अपने विकलांगता के आधार पर ग्रामीण शाखा में सेवा करने से छुट चाहते हैं तो इसके लिए सक्षम अधिकारी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक हैं और शिकायतकर्ता को उचित माध्यम के द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

11. आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिग प्रभाग के पत्र संख्या 302/33/2/07–एस.सी.टी. दिनांक 05.03.1988 के अनुसार जब किसी निःशक्त कर्मचारी को उसकी पदोन्नति पर रिक्ति के उपलब्ध न होने के कारण उसकी मूल तैनाती के स्थान से अन्य स्थान पर स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे कर्मचारियों को उनकी तैनाती के मूल स्थान के सबसे समीप रखा जाए और किसी भी दशा में उन्हें दूरवर्ती स्थानों पर स्थानान्तरित न किया जाए।

12. अतः उपरोक्त दिए गए तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को सलाह दी जाती है कि आवर्ती स्थानांतरण नीति/स्थानांतरण में छूट देते हुए शिकायतकर्ता को उनके मूल निवास के समीप के शाखा में पदोन्नति के अनुसार तैनात करने का विचार करें और दूरवर्ती स्थानों पर स्थानान्तरित न करें ताकि विकलांग व्यक्ति के वैध अधिकारों का हनन् हों।

13. तद्नुसार मामले को बन्द किया जाता है।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन